यात्रा से संबंधित कुछ अहकाम

﴿ نزهة النظر في بيان أحكام السفر ﴾

[*हिन्दी* - **Hindi** - هندي]

डा० नाईफ बिन अहमद अल-हमद

अनुवाद : **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2009 - 1430

islamhouse.com

﴿ نزهة النظر في بيان أحكام السفر ﴾

« باللغة الهندية »

د. نايف بن أحمد الحمد

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2009 - 1430

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

अब जब कि वार्षिक छुटिटयाँ शुरू हो चुकी हैं, और बहुत से लोग यात्रा पर निकल रहे हैं, इस लिए यात्रा और यात्रियों से संबंधित कुछ अहकाम पर प्रकाश डालना उचित मालूम होता है।

अरबी भाषा में यात्रा को 'सफर' कहा जाता है, और सफर का नाम इस लिए सफर रखा गया है कि यह मुसाफिरों के चेहरों और उनके आचार व व्यवहार को खोल देता है और उन के छुपे हुये और गुप्त आचार को प्रत्यक्ष कर देता है।

यह सच्च है कि आप एक आदमी को सालों–साल से जानते पहचानते हैं, और आप उसके स्वभाव के केवल अच्छे पहलुओं को ही जान पाते हैं, लेकिन जब आप उसके साथ यात्रा करते हैं और रात–दिन उसके साथ उठना–बैठना, खाना–पीना, सोना–जागना और अन्य मामले होते हैं तो आप के सामने ऐसी बातें खुल कर आती हैं जिन्हें आप जानना पसंद नहीं

करते हैं। इसी लिए जब अमीरूल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कोई ऐसा आदमी गवाही देता जिसे आप नहीं जानते थे, तो उसके बारे में पूछते थे, और उसके बारे में सफाई देने वाले से जो बातें पूछते थे, उन में यह भी होता था कि : क्या तू ने उसके साथ सफर किया है?

चुनाँचि एक बार दो आदमियों ने उनके पास गवाही दी, तो आप ने उन से कहा : मैं तुम दोनों को नहीं जानता हूँ और यदि मैं तुम्हें नहीं जातना तो इसमें तुम्हार कोई नुक़सान नहीं, किसी ऐसे आदमी को लेकर आओ जो तुम्हें जानता हो, वो दोनों एक आदमी लेकर आये। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा : तुम इन दोनों को कैसे जानते हो? उसने कहा : अच्छाई और अमानत के साथ। कहा :क्या तुम इन दोनों के पड़ोसी रह चुके हो? उसने कहा : नहीं। क्या तुम ने इन दोनों के साथ सफर किया है जो कि लोगों की नैतिकता को प्रत्यक्ष कर देता है? उसने कहा : नहीं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा : तब तुम इन दोनों को नहीं जानते, तुम दोनों ऐसे आदमी को लेकर आओ जो तुम्हें जानता हो।

सफर का हुक्म :

शरई हुक्म के दृष्टिकोण से सफर के तीन प्रकार हैं :

प्रथम : नेकी का सफर

जैसे कि हज्ज या उम्रा करने, या अल्लाह के मार्ग में जिहाद करने, या किसी रिश्तेदार के साथ रिश्तेदारी निभाने या बीमार का हाल पूछने इत्यादि के लिए यात्रा करना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि :

''एक आदमी एक दूसरे गाँव में अपने एक भाई से मिलने के लिये गया, तो अल्लाह तआला ने उसके रास्ते पर एक फरिश्ते को लगा दिया, जब

वह आदमी उस (फरिश्ते) के पास से गुज़रा तो उसने पूछा : तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा : इस गाँव में मेरा एक भाई है उसके पास जाना है। फरिश्ते ने कहा : क्या तुम्हारी उसके पास कोई नेमत है जिसकी देख–रेख के लिए जा रहे हो? उसने कहा : नहीं, बात केवल इतनी है कि मैं अल्लाह के लिए उस से महब्बत करता हूँ। फरिश्ते ने कहा : मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का संदेश्वाहक हूँ कि अल्लाह तआला तुम से महब्बत करता है जिस तरह कि तुम ने अल्लाह के लिए उस आदमी से महब्बत की है।'' (मुस्लिम हदीस संख्या :2567)

दूसरा : गुनाह का सफर

जैसे कि हराम (धर्म में निषिद्ध) काम करने के लिए सफर करना, या महिला का बिना महरम के यात्रा करना, या क़ब्रों की ज़ियारत के लिए सफर करना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

''तीन मस्जिदों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान के लिए (उनसे बरकत प्राप्त करने और उन में नमाज़ पढ़ने के लिए) यात्रा न की जाए: मस्जिदे हराम, मेरी यह मस्जिद और मस्जिदे अक़्सा।'' (बुखारी हदीस संख्या :1132, मुस्लिम हदीस संख्या :1397)

तथा इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि उन्हों ने कहा कि मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भाषण देते हुए सुना :

> ''कोई आदमी किसी (परायी) महिला के साथ एकान्त (तन्हाई) में न हो सिवाय इसके कि उस (महिला) के साथ कोई महरम हो, तथा महिला बिना महरम के यात्रा न करे।''

इस पर एक आदमी खड़ा हुआ और कहा : ऐ अल्लाह के पैग़म्बर ! मेरी पत्नी हज्ज के लिए निकली है और मैं ने फलाँ जंग में नाम लिखवा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

''जाओ और अपनी पत्नी के साथ हज्ज करो।'' (मुस्लिम हदीस संख्या :1341)

तीसरा : वैध सफर

जैसे कि तिजारत, पापरहित मनोरंजन और सैर सपाटे, और शिकार इत्यादि के लिए सफर करना।

यात्रा की रूखसतें :

यात्रा कष्ट, संकट, कठिनाई पीड़ा और यातना का स्थान है, जब आदमी यात्रा करता है तो उसे विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इस्लामी शरीअत ने इस बात पर बल दिया है कि जब आदमी की आवश्यकता पूरी हो जाये तो उसे तुरन्त अपने घर लौट आना चाहिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

''यात्रा अज़ाब का एक टुकड़ा है, जो तुम में से किसी (यात्रा करने वाले) को उसकी नींद, और उसके खाने और पीने से रोक देता है, अतः जब तुम में से कोई आदमी अपनी आवश्यकता को पूरी कर ले, तो अपने परिवार की तरफ जल्दी लौट आये।'' (बुखारी हदीस संख्या :2839, मुस्लिम हदीस संख्या :1927)

हदीस में अज़ाब से अभिप्राय वह कष्ट और कठिनाई है जो आदमी को यात्रा में उठानी पड़ती है, तथा हदीस में इस बात पर भी चेतावनी है कि

आदमी को बिना आवश्यकता के घर–बार छोड़कर यात्रा में नहीं रहना चाहिए।

यात्रा की इन्हीं कठिनाईयों को देखते हुए इस्लामी शरीअत ने यात्री को कई रूख्सतें (छूट) प्रदान की हैं और कुछ अहकाम में उस पर आसानी की है, उन्हीं में से कुछ निम्नलिखित हैं :

पहला : चार रकअत वाली नमाज़ों को क़स्र करके दो ही रकअतें पढ़ना, अल्लाह तआला का फरमान है :

''और जब तुम ज़मीन में सफर करो तो तुम पर नमाज़ क़स्र करने (चार रकअत की नमाज़ दो रकअत पढ़ने) में कोई हरज नहीं, अगर तुम्हें यह डर हो कि काफिर (नास्तिक) तुम्हें तकलीफ देंगे, निःसन्देह कुफ्फार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं।'' (सूरतुन्निसा :101)

या'ला बिन उमैया से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि : मैं ने उमर बिन खत्ताब से पूछा कि ''तुम पर नमाज़ क़स्र करने में कोई हरज नहीं, अगर तुम्हें यह डर हो कि काफिर (नास्तिक) तुम्हें तकलीफ देंगे।'' तो अब तो लोग सुरक्षित हो गये हैं? तो उन्हों ने कहा कि : मुझे भी उस चीज़ से आश्चर्य हुआ था जिस से तुम्हें आश्चर्य हुआ है, तो मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इसके बारे में पूछा तो आप ने फरमाया : ''यह एक सदक़ा है जो तुम पर अल्लाह तआला ने किया है, अतः उसके सद्क़ा को स्वीकार करो।'' (मुस्लिम हदीस संख्या :686)

दूसरा : दो नमाज़ों को एक साथ पढ़ना :

यात्री के लिए जब वह यात्रा के दौरान चल रहा हो तो उसके लिए मस्नून यह है कि वह जुहर और अस्र की नमाज़ को एक साथ, तथा मग्रिब और इशा की नमाज़ को एक साथ पढ़े, चाहे उन्हें जमा तक़दीम

कर के (अर्थात पहली नमाज़ के समय पर) पढ़े, या जमा ताख़ीर कर के (अर्थात् दूसरी नमाज़ के समय पर) पढ़े। उसके लिए जो अधिक आसान हो उसी को अपनाये।

इसका प्रमाण अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है कि उन्हों ने कहा : मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा कि जब आप को सफर में चलने की जल्दी होती थी तो मग्रिब की नमाज़ को विलंब कर देते थे यहाँ तक कि उसे और इशा की नमाज़ को एक साथ पढ़ते थे।'' (बुखारी हदीस संख्या :1014, मुस्लिम हदीस संख्या :703)

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्हों ने कहा कि: ''जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सूरज ढलने से पहले कूच करते थे तो जुहर की नमाज़ को अस्र के समय तक विलंब कर देते थे, फिर दोनों को एक साथ पढ़ते थे और जब सूरज ढल चुका होता था तो जुहर की नमाज़ पढ़ कर सवारी पर बैठते थे।'' (बुखारी हदीस संख्या :1060, मुस्लिम हदीस संख्या :704)

मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि उन्हों ने कहा : ''हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ तबूक की लड़ाई में निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जुहर और अस्र की नमाज़ एक साथ और मग्रिब व इशा की नमाज़ एक साथ पढ़ते थे।'' (मुस्लिम हदीस संख्या :706)

तीसरा : रमज़ान में रोज़ा तोड़ देना :

अल्लाह तआला का फरमान है :

''लेकिन तुम में से जो बीमार हो या यात्रा पर हो, तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी कर ले, और जो इसकी कुदरत रखता हो फिद्या में

एक गरीब को खाना दे, फिर जो इंसान भलाई में बढ़ जाये वह उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक़ में बेहतर अमल रोज़े रखना ही है अगर तुम जानते हो।'' (सूरतुल बक़रा :184)

जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्हों ने कहा : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक यात्रा में थे कि आप ने एक व्यक्ति को देखा कि उस पर छाया किया गया था और लोग उसके चारों ओर भीड़ लगाये हुए थे, आप ने पूछाः ''यह क्या है''? लोगों ने कहाः यह रोज़े से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

ليس من البر الصيام في السفر

''यात्रा में रोज़ा रखना पुण्य (नेकी) नहीं है।'' (मुस्लिम हदीस न॰ 1115)

और एक दूसरी रिवायत के शब्द में यह वृधि है : ''अल्लाह तआला ने तुम्हे जो रूख्सत (छूट) प्रदान किया है उसे अपनाओ।''

चौथा : मोज़ो पर मस्ह करने की अवधि में वृधि :

शुरैह बिन हानी से वर्णित है कि उन्हों ने कहा : मैं आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास मोज़ों पर मस्ह करने के बारे में पूछने के लिए आया तो उन्हों ने कहा कि : तुम अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाओ और उन से प्रश्न करो ; क्योंकि वह रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सफर किया करत थे। हम ने उन से पूछा तो उन्हों ने जवाब दिय कि : ''अल्लाह के रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसाफिर के लिए तीन दिन और तीन रातें, तथा मुक़ीम (निवासी) के लिए एक दिन और एक रात की अवधि निर्धारित की है।'' (मुस्लिम हदीस संख्या :276)

पाँचवाँ : मुसाफिर पर जुमा की नमाज़ अनिवार्य नहीं है :

क्योंकि जुमा (जुमुआ) की नमाज़ के अनिवार्य होने की शर्तों में से एक शर्त इक़ामत (अर्थात् निवास) का होना है, और मुसाफिर निवासी नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह तरीक़ा नहीं था कि आप सफर में जुमा की नामज़ पढ़ते रहे हों।

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि : मुसाफिर के लिए जुमा नहीं है। इसे अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने रिवायत किया है और इब्ने अब्दुल बर्र रहिमहुल्लाह ने इस पर इजमाअ् (अर्थात् विद्वानों की सर्वसहमति) का उल्लेख किया है। (अल–इस्तिज़कार 2/36)

अगर मुसाफिर इमाम के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ता है तो ऐसी अवस्था में उसके साथ अस्र की नमाज़ को एकत्र करके नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अस्र की नमाज़, जुहर की नमाज़ के साथ एकत्र करके पढ़ी जाती है जुमा के साथ नहीं, जुमा एक मुस्तक़िल (स्वतंत्र) नमाज़ है जिसके कुछ विशिष्ट अहकाम हैं, जुमा जहरी (जिस में क़िराअत ज़ोर से की जाती है) नमाज़ है और जुहर एक सिर्री (जिसमें क़िराअत धीरे से होती है) नमाज़ है। यह दो रकअत है और जुहर चार रकअत है, इस से पहले खुत्बा है और जुहर से पहले खुत्बा नहीं है, इसका समय ज़वाल से पहले शुरू होता है जबकि जुहर ज़वाल के बाद शुरू होता है, इसके अलावा अन्य अंतर भी हैं। (देखिये अश्शरहुल मुम्ते' 4/582)
किन्तु यदि इमाम के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ता है और उसकी नीयत जुहर की क़स्र नमाज़ पढ़ने की होती है तो उसके साथ अस्र की नमाज़ को एकत्र करके पढ़ना जाईज़ है।

छठा : सवारी पर नफ्ल नमाज़ पढ़ना

मुसाफिर के लिए तहज्जुद, वित्र और चाश्त की नमाज़ और इनके अलावा अन्य नफ्ल नमाज़ें चलती गाड़ी के अंदर पढ़ना जाईज़ है चाहे वह किसी भी दिशा में जा रही हो, इसका प्रमाण सईद बिन यसार की हदीस है जिस में वह कहते हैं कि : मैं अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ मक्का के रास्ते पर जा रहा था, तो सईद ने कहा : जब मुझे सुबह हो जाने का डर हुआ तो मैं सवारी से उतरा और वित्र की नमाज़ पढ़ी फिर उन से जा मिला, तो अब्दुल्लह बिन उमर ने पूछा : तुम कहाँ थे? मैं ने कहा कि मुझे सुबह के हो जाने का भय हुआ तो मैं सवारी से उतरा और वित्र की नमाज़ पढ़ी। तो अब्दुल्लाह ने कहा : क्या तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अंदर सर्वश्रेष्ठ आदर्श नहीं है? मैं ने कहा : क्यों नहीं। उन्हों ने फरमाया : रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऊँटनी पर वित्र की नमाज़ पढ़ते थे। (बुखारी हदीस संख्या :954, मुस्लिम हदीस संख्या :700)

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि उन्हों ने कहा : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सफर में अपनी सवारी पर नमाज़ पढ़ते थे वह जिधर भी जाती, आप इशारा से नामज़ पढ़ते थे सिवाय फर्ज़ नमाज़ों के, तथा आप अपनी सवारी पर वित्र भी पढ़ते थे।'' (बुखारी हदीस संख्या :955, मुस्लिम हदीस संख्या :700)

सातवाँ : फज्र की सुन्नत के अलावा अन्य मुअक्कदा सुन्नतें छोड़ देना :

हफ्स बिन आसिम बिन उमर बिन खत्ताब कहते हैं : मैं मक्का के रास्ते में इब्ने उमर के साथ था, वह उल्लेख करते हैं कि : तो उन्हों ने हमें जुहर की दो रकअतें पढ़ाईं, फिर वह चले और हम भी उनके साथ चले यहाँ तक कि वह अपने डेरे पर आये और बैठ गये और हम भी उनके साथ बैठ गये, फिर उनका ध्यान उस स्थान की तरफ गया जहाँ उन्हों

ने नमाज़ पढ़ी थी तो कुछ लोगों को खड़े हुये देखा, तो पूछा : ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं ने कहा : नफ्ल (सुन्नतें) पढ़ रहें हैं। उन्हों ने कहाः ऐ भतीजे! यदि मुझे नफ्ल (सुन्नत) ही पढ़ना होती तो मैं अपनी नमाज़ पूरी पढ़ता, मैं ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ सफर किया है तो (मैं ने देखा है कि) आप ने दो रकअत से अधिक नमाज़ नहीं पढ़ी यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आप को मृत्यु दे दी, और अबू बक्र के साथ भी (सफर में) रहा और उन्हों ने भी दो रकअत से अधिक नामज़ नहीं पढ़ी यहाँ तक कि उल्लाह ने उनको मृत्यु दे दी, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ भी (सफर में) रहा तो उन्हों ने दो रक्अत से अधिक नमाज़ नहीं पढ़ी यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको मृत्यु दे दी, फिर उसमान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ भी (सफर में) रहा तो उन्हों ने दो रक्अत से अधिक नमाज़ नहीं पढ़ी यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उनको मृत्यु दे दी, और अल्लाह तआला का फरमान है : ''निःसन्देह तुम्हारे लिए पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में बेहतरीन नमूना (उत्तम आदर्श) है।'' (सूरतुल–अह्ज़ाबः21) (मुस्लिम :689)

ये रूख्सतें (छूट) चाहे इनका संबंध करने से हो या छोड़ने से, मुसाफिर के लिए इनकी पाबंदी करना उचित है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''अल्लाह तआला ने तुम्हें जो रूख्सतें प्रदान की हैं, उन्हें अपनाओ।'' (मुस्लिम हदीस संख्या : 1115 जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है।)

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्हों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने फरमाया : ''अल्लाह तआला इस बात को पसंद करता है कि उसकी रूख्सतों को अपनाया

जाये जिस तरह वह इस बात को नापसंद करता है कि उसकी नाफरमानी की जाये।'' (अहमद हदीस संख्या :5866, अल्बानी ने मुख्तसर इरवाउल गलील हदीस संख्या :564 के तहत इसे सहीह कहा है।)

अतः शरीअत की रूख्सतों को अपनाना एक इबादत है जिस से बहुत से लोग गफलत के शिकार हैं, जिसके कारण वह अपने आप को कष्ट में डालते हैं यह समझते हुये कि ऐसा करना श्रेष्ठ है, जबकि सर्वश्रेष्ठ और परिपूर्ण और सब से अधिक अज्र व सवाब वाला काम सफर और निवास, तथा अज़ीमत व रूख्सत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सुन्नत की पैरवी करना है। उलमा ने यात्रा में इन रूख्सतों से लाभान्वित होने की तीन शर्तें उल्लेख की हैं, जो निम्नलिखित हैं :

पहली शर्त : सफर की दूरी क़स्र करने की मसाफत के बराबर हो, और वह चार बरीद है (एक बरीद लगभग 12 मील का होता है), और वह अधिकांश उलमा के मत के अनुसार 89 किलोमीटर है।

इसका प्रमाण अता बिन अबी रिबाह की रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा दो दो रकअत नमाज़ पढ़ते थे और चार बरीद और उस से अधिक में रोज़ा तोड़ देते थे। (बैहक़ी 3/137) तथा इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से इसके विपरीत बातें वर्णित हैं, क्योंकि उन्हों ने इस से कम मसाफत में क़स्र किया।

क़स्र की मसाफत के बारे में उलमा के बहुत सारे कथन हैं, इब्ने तैमिय्या रहिमहुल्लाह कहते हैं : ''नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी भी सफर को किसी मसाफत के साथा निर्धारित नहीं किया है न

तो बरीद के साथ और न ही किसी और चीज़ के साथ और न ही उसे किसी समय के साथ निर्धारित किया है।'' (मजमूउल फतावा 24/127)

सहीह मुस्लिम (691) में यह्या बिन यज़ीद अल–हुनाई से वर्णित है कि उन्हों ने कहा : मैं ने अनस बिन मालिक से नमाज़ क़स्र करने के बारे में प्रश्न किया तो उन्हों ने उत्तर दिया : ''रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म जब तीन मील या तीन फर्सख –शो'बा को शक हुआ है– की मसाफत पर निकलते थे तो दो रकअत नमाज़ पढ़ते थे।''

दूसरी शर्त : निवास स्थान को छोड़ देना

बहुत से यात्री लोग यह समझते हैं कि मुसाफिर के लिए सफर की रूख्सतों को अपनाना उस वक्त तक जाईज़ नहीं जब तक कि वह क़स्र की मसाफत को तै न कर ले, हालाँकि यह सहीह बात नहीं है, बल्कि मुसाफिर जब शहर की इमारतों से बाहर निकल जाये तो उसके लिए इन रूख्सतों को अपनाना जाईज़ हो जाता है, इसका प्रमाण अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जिस में वह कहते हैं कि : मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मदीना में ज़ुहर की नमाज़ चार रकअत और ज़ुलहुलैफा में अस्र की नमाज़ दो रकअत पढ़ी।'' (बुखारी हदीस संख्या :1039)

अली बिन रबीआ अल–असदी कहते हैं कि : ''हम अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ निकले इस हाल में कि हम कूफा को देख रहे थे, तो आप ने दो रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर वह वापस लौटे तो दो रकअत नमाज़ पढ़ी जबकि वह बस्ती को देख रहे थे, तो हम ने उन से कहा : क्या आप चार रकअत नमाज़ नहीं पढ़ें गे? उन्हों ने कहा : यहाँ तक कि हम उस में दाखिल हो जायें।'' इसे बुखारी 1/369 ने तालीक़न रिवायत किया है और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ (4321) ने मौसूलन रिवायत किया

है, हाफिज़ इब्ने हजर ने कहा है कि इसका इसनाद सहीह है। (तग़लीकुत्तालीक़ 2/421)

तीसरी शर्त : जमहूर उलमा के निकट वह सफर नाफरमानी (पाप) का न हो :

सफर की उपर्युक्त रूख्सतें उस आदमी के लिए मस्नून हैं जिस का सफर नेकी का सफर या वैध सफर हो, किन्तु वह आदमी जो अपनी सफर के द्वारा पाप करने वाला हो जैसेकि डाकू, तो वह इन रूख्सतों को नहीं अपनाये गा, क्योंकि रूख्सतें नाफरमानियों से संबंधित नहीं होती हैं और फिर इसी कारण वश अपने सफर के द्वारा पाप करने वाला सफर की रूख्सतों में से किसी चीज़ को भी वैध नहीं कर सकता। (अल–मजमूअ शरहुल मुहज़्ज़ब 4/223, अल–अश्बाह वन्नज़ाइर लिस्सुयूती /95)

पाप करने वाले को सफर की रूख्सतों को अपनाने की अनुमति देने में नाफरमानी और गुनाह पर उसकी मदद करना है, और नाफरमान और पापी की मदद नहीं की जायेगी।

सफर के आदाब :

सफर के अनेक आदाब (आचार) हैं, जिन में से कुछ का संबंध सफर से पहले, कुछ का सफर के मध्य, कुछ का प्रस्थान करने पर और कुछ का वापसी से है :

पहला : इस्तिख़ारा करना

जो आदमी सफर करना चाहता है या इसी प्रकार कोई भी महत्वपूर्ण काम करना चाहता है तो उसके लिए मस्नून है कि दो रकअत नमाज़ पढ़े और उसके बाद जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में वर्णित इस्तिख़ारा की दुआ पढ़े, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : रसूल

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमें हर काम में इस्तिख़ारा करना ऐसे ही सिखाते थे जिस तरह कि कुरआन की सूरत सिखाते थे, आप फरमाते थे : ''जब तुम में से कोई आदमी किसी काम का इरादा करे तो फर्ज़ के अलावा दो रकअत नमाज़ पढ़े फिर यह दुआ पढ़े :

اللّٰهُمَّ إني أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ من فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللّٰهُمَّ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الْأَمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أو قال عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لي وَيَسِّرْهُ لي ثُمَّ بَارِكْ لي فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الْأَمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أو قال في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عنه وَاقْدُرْ لي الْخَيْرَ حَيْثُ كان ثُمَّ أَرْضِنِي به.

ऐ अल्लाह! मैं तेरे ज्ञान के द्वारा भलाई मांगता हूँ और तेरी शक्ति के द्वारा शक्ति मांगता हूँ, और तेरे महान अनुकम्पा का प्रश्न करता हूँ। क्योंकि तू शक्ति रखता है और मैं शक्ति नहीं रखता और तू जानता है और मैं नहीं जानता, और तू तो प्रोक्ष का ज्ञान रखने वाला है, ऐ अल्लाह! यदि तू जानता है कि यह काम मेरे लिए मेरे धर्म, मेरी जीविका और मेरे मामले के अंजाम के लिए (या आप ने यह फरमाया कि : मेरे दुनिया के मामले और आखिरत के मामले के लिये) भला है तो उसे मेरे लिए मुक़द्दर कर दे और मेरे लिए आसान कर दे, और यदि तू जानता है कि यह काम मेरे लिए मेरे धर्म, मेरी जीविका और मेरे

मामले के अंजाम के लिए (या आप ने यह फरमाया कि : मेरे दुनिया के मामले और आखिरत के मामले के लिये) बुरा है तो इसे मुझ से फेर दे और मुझे इस से फेर दे और मेरे लिये भलाई को मुक़द्दर कर दे वह जहाँ भी हो, फिर मुझे इस से प्रसन्न कर दे।''

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया वह अपनी ज़रूरत का नाम उल्लेख करे।'' (बुखारी हदीस संख्या :1109)

ऐनी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं : इस हदीस से पता चलता है कि वो मामले जिन के अंदर बंदे को यह पता नहीं चलता है कि उचित क्या है उनमें इस्तिख़ारा करना और उसके बाद दुआ करना मुसतहब है। किन्तु वो चीज़ें जिनका अच्छा और भला होना ज्ञात है जैसे कि इबादतें और नेकी व भलाई के काम, तो उन में इस्तिख़ारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इबादत को किसी विशिष्ट समय पर अंजाम देने के बारे में इस्तिख़ारा किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर दुश्मन, या फित्ने या हज्ज से रोके जाने की संभावना के कारण इस साल हज्ज करने के बारे में इस्तिखारा करना। इसी प्रकार बुराई से रोकने में इस्तिखारा करना जैसे कि कोई जटिल विद्रोही आदमी है जिसे बुराई से रोकने पर निजी या सार्वजनिक महान छति पहुँचने की संभावना हो।'' (उमदतुल क़ारी 7/224)

दूसरा : तौबा करना

यह प्रत्येक मुसलमान मर्द और औरत पर अनिवार्य है चाहे वह अपने निवास स्थान पर हो यह यात्रा में, अल्लहा तआला का फरमान है : ''और हे मुसलमानो! तुम सब के सब अल्लाह के दरबार में माफी माँगो ताकि तुम कामयाबी पाओ।'' (सूरतुन्नूर :91)

तीसरा : क़र्ज़ की अदायगी

इस्लाम धर्म में क़र्ज़ का मामला बड़ा गंभीर है, आवश्यकता पड़ने पर इस्लाम ने क़र्ज़ लेने की अनुमति दी है, लेकिन उसके मामले को आसान और साधारण समझने और उसकी अदायगी में लापरवाही करने से डराया है, इस ज़माने में कुछ लोग सैर सपाटे के लिए क़र्ज़ लेते हैं और अपने कंधे को ढेर सारे धन से बोझल कर लेते हैं, जबकि यह कोई आवश्यकता नहीं है कि उसके लिए क़र्ज़ लिया जाये, और बुद्धिमान आदमी वह है जो बिना आवश्यकता के लोगों के धन उधार नहीं लेता है, और उसके ऊपर किसी का क़र्ज़ है तो उस से शीघ्र ही छुटकारा लेने का प्रयास करता है, क्योंकि क़र्ज़ का संबंध लोगों के हुक़ूक़ से है, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसके प्रति चेतावनी देते हुए फरमाया : ''जो आदमी मर गया और उसके ऊपर क़र्ज है, तो (ज्ञात रहना चाहिए कि) वहाँ दीनार और दिर्हम नहीं होंगे, किन्तु नेकियाँ और बुराईयाँ होंगी।'' (इसे हाकिम ने रिवायत करके सहीह कहा है 2/32)

तथा अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लहु अन्हुमा से वर्णित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''शहीद का हर पाप क्षमा कर दिया जाता है सिवाय क़र्ज़ के।'' (मुस्लिम :1886)

इस लिए आदमी को यात्रा पर निकलने से पूर्व अपना क़र्ज़ चुका देना चाहिए।

चौथा : मुसाफिर को अपनी बीवी और बच्चों के खर्च का प्रबंध करके जाना चाहिए :

बीवी और बच्चों का खर्च शौहर पर अनिवार्य है, इस में किसी का कोई मतभेद नहीं है, अतः इसमें कोताही और लापरवाही से काम लेन जाईज़ नहीं, लेकिन निंदात्मक है कि कुछ यात्री जिन्हें केवल अपने आप की

चिन्ता होती है, वे सैर सपाटे के लिए यात्रा पर निकल जाते हैं और अपने पीछे बीवी बच्चों को जो उनकी अमानत हैं बिना पर्याप्त खर्च का बंदोबस्त किये हुए छोड़ जाते हैं, और वे दूसरों के सामने हाथ फैलाते फिरते हैं, जब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : ''आदमी के पापी होने के लिए यह काफी है कि वह उन लोगों को नष्ट कर दे जिनकी रोज़ी रोटी का वह ज़िम्मेदार है।'' इस हदीस को इमाम अहमद (6495) अबू दाऊद (1692) और नसाई ने सुनन कुब्रा (9177) में रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान (4240) और हाकिम (1/575) ने सहीह कहा है।

पाँचवाँ : आदमी अकेले सफर न करे :

जो आदमी अकेले सफर करता है और विशेष कर ऐसे देशों का जहाँ बुराईयों का चलन है तो वह उन बुराईयों में पड़ने की संभावना रखता है, इसलिए आदमी को अच्छे लोगों की संगत अपनाना चाहिए जो नेकी पर उसकी मदद करें और बुराईयों और संदिग्ध स्थानों से दूर रखें। इमाम हाकिम ने रिवायत किया है कि : एक आदमी यात्रा से वापस लौटा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस से पूछा कि किस की संगत अपनाये थे? तो उसने कहा मैं किसी के संग नहीं गया था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस से कहा :(एक सवार शैतान है, और दो सवार दो शैतान हैं, और तीन सवार क़ाफिला हैं।'' (हाकिम 2/212)

छठा : घर वालों और विशिष्ट रूप से माता–पिता को रुख्सत करना :

जो भी आदमी यात्रा करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि यात्रा करने से पहले अपने माता–पिता से अनुमति ले ले, अगर वे अनुमति प्रदान कर दें तो यात्रा पर निकले, वर्न यात्रा त्याग कर दे,

कुछ युवा –अल्लाह उन्हें मागदर्शन करे– सब से अंत में अपने माता–पिता को सूचना देते हैं, बल्कि कभी कभार तो अपने यात्रा करने के स्थान पर पहुँचने के कई दिनों बाद उन्हें सूचना देते हैं, जबकि अपने दोस्तों और सहपाठियों को यात्रा से कई दिनों पहले ही सूचित कर देते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उस देश में उनके लिए कोई आवश्यकता है और उनके माँ–बाप को सबसे अंत में इसका पता चलता है, यह एक प्रकार से माँ–बाप की नाफरमानी है जो घृणित और निंदात्मक है। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्हों ने कहा कि : एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आप से बैअत करने के लिए आया और कहा : मैं आप से हिजरत पर बैअत करने के लिए आया हूँ और अपने माँ–बाप को रोते हुए छोड़ कर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः ''उन दोनों के पास वापस जाओ और उन्हें हँसाओं जिस तरह कि तुम ने उन्हें रुलाया है।'' इस हदीस को इमाम अहमद (6490) अबू दाऊद (2528) और नसाई (4163) ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान (419) और हाकिम (4/168) ने सहीह कहा है।

और अबू सईद अल–खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास यमन से हिजरत कर के आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस से पूछा : ''क्या यमन में तुम्हारा कोई है?'' तो उसने कहा : मेरे माँ–बाप हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा : ''क्या उन दोनों ने तुम्हें अनुमति दी है?'' उसने कहा : नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''तुम उन दोनों के पास लौट कर जाओ और उन से अनुमति मांगो, अगर वे दोनों तुम्हें अनुमति प्रदान कर दें

तो तुम जिहाद करो, वर्न उन दोनों की सेवा करो।'' इसे अबू दाऊद (2530) ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान (422) और हाकिम (2/114) ने सहीह कहा है।

हाफिज़ इब्ने हज्र रहिमहुल्लाह कहते हैं : जम्हूर उलमा (विद्वानों) का कहना है : अगर माँ–बाप या उन दोनों में से कोई एक रोक दें तो जिहाद करना हराम है, इस शर्त के साथ कि वे दोनों मुसलमान हों, क्योंकि उन दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करना (उनकी सेवा करना) उस पर फर्ज़े ऐन है, और जिहाद फर्ज़े किफायह है, और जब जिहाद फर्ज़े ऐन हो जाये तो अनुमति नहीं ली जाये गी।'' (फत्हुल बारी 6/140)

जब जिहाद में अनुमति लेना अनिवार्य है जो कि इस्लाम के कोहान की बलंदी तो फिर सैर सपाटे के लिये यात्रा करने के लिए अनुमति क्यों नही ली जायेगी।

जहाँ तक विदा करने के विधि का प्रश्न है तो क़ज़'आ कहते हैं : मुझ से इब्ने उमर ने कहा : आओ मैं तुम्हें उसी तरह विदा (रूख्सत) करता हूँ जिस तरह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे विदा किया :

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

''मैं तुम्हारे धर्म, तुम्हारी अमानत और तुम्हारे अमल के अंत को अल्लाह के हवाले करता हूँ।'' इसे अहमद (4781) अबू दाऊद (2600) और नसाई ने सुनन अल–कुब्रा (10360) में रिवायत किया है।

सातवाँ : सफर की दुआ पढ़ना

सफर की दुआ वही है जो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में वर्णित है कि : रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब यात्रा पर

निकलते हुए अपनी ऊँटनी पर अच्छी तरह से बैठ जाते थे तो तीन बार ''अल्लाहु अक्बर'' कहते फिर यह दुआ पढ़ते :

" سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لنا هذا وما كنا له مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ ما تَرْضَى اللَّهُمَّ

هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أنت الصَّاحِبُ في السَّفَرِ

وَالْخَلِيفَةُ في الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إني أَعُوذُ بِكَ من وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ

الْمُنْقَلَبِ في الْمَالِ وَالْأَهْلِ "

(अल्लाह सब से बडा है। अल्लाह सब से बडा है। अल्लाह सब से बडा है।) पाक है वह ज़ात जिस ने इस को हमारे क़ाबू में कर दिया हालाँकि हम इसे अपने क़ाबू में न कर सकते थे। ऐ अल्लाह हम अपने इस सफर (यात्रा) में तुझ से नेकी और तक़्वा और ऐसे अमल् का सवाल करते हैं जिसे तू पसन्द करे। ऐ अल्लाह हमारा यह सफर हम पर आसान कर दे और इस की दूरी को हमारे लिए समेट दे। ऐ अल्लाह तू ही सफर में (हमारा) साथी और घर वालों में जानशीन् है। ऐ अल्लाह मैं तुझ से सफर की मशक़्क़त् से और उसके तकलीफदेह मन्ज़र से और माल तथा घर वालों में बुरी तबदीली (या बुरी हालत में लौटने) से तेरी पनाह चाहता हूँ।

और जब वापस लौटते तो पिछली दुआ को पढ़ते और उस में इतने शब्दों की वृधि करते थे :

" آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ "

हम लौटने वाले, तौबा करने वाले, उपासन करने वाले और केवल अपने रब की प्रशंसा करने वाले हैं। (मुस्लिम :1342)

आठवाँ : जुमेरात के दिने यात्रा पर निकलना :

कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तबूक की जंग में जुमेरात के दिन निकले, और आप जुमेरात के दिन सफर पर निकलना पसंद करते थे। (बुखारी :2790)

नवाँ : जब किसी ऊँची जगह पर चढ़े तो अल्लाहु अक्बर कहे और जब किसी घाटी में उतरे तो सुब्हानल्लाह कहे :

जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है, वह कहते हैं : जब हम चढ़ते थे तो अल्लाहु अक्बर कहते थे, और जब उतरते थे तो सुब्हानल्लाह कहते थे। (बुखारी :2832)

दसवाँ : सफर में अधिक से अधिक दुआ करना :

सफर दुआ के क़बूल होने के स्थानों में से एक स्थान है, अतः मुसफिर को इस अवसर से लाभान्वित होते हुए अपने लिए, अपने माँ–बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए और मुसलमानों के लिए दुआ करना चाहिए, हो सकता कि वह दुआ के क़बूल होने की घड़ी को पा ले, तो फिर दुनिया और आखिरत की भलाई से माला–माल हो जाये। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''तीन दुआयें मक़बूल हैं जिन में कोई सन्देह नहीं; बाप की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मज़्लूम की दुआ।'' इसे इमाम अहमद (7501) और अबू दाऊद (1536) ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान (6629) ने सहीह कहा है।

ग्यारहवाँ : जब मुसाफिरों का एक समूह हो तो किसी एक को अमीर बना लेना और गुनाह के अलावा में उसकी बात को मानना :

अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''जब तीन लोग किसी सफर पर निकलें, तो उन में से किसी एक को अपना अमीर (अगुवा) बना लें।'' (सुनन अबू दाऊद 3/36 हदीस नं.: 2608) इमाम नववी ने इसकी सनद को हसन कहा है (देखिये :रियाज़ुस्सालिहीन पृ0 192)

इस में कोई सन्देह नहीं कि किसी एक को अमीर बना लेने से सफर के दौरान मतभेद कम हो जाता है, विशेषकर जब लोगों की इच्छायें भिन्न–भिन्न होती हैं, अतः आप देखें गे कि कुछ लोग यहाँ ठहरना चाहते हैं तो कुछ लोग वहाँ, तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। अतः मतभेद को समाप्त करने के लिए अमीर का होना आवश्यक है।

बारहवाँ : सफर के दौरान धैर्य और शिष्टाचार से सुसज्जित होना :

सफर में आदमी के अच्छे और बुरे स्वभाव प्रत्यक्ष हो जाते हैं और उसके व्यक्तित्व के रहस्य खुल जाते हैं, क्योंकि विभिन्नत प्रवृत्तियों वाले लोगों से उसका सामना होता है, जिसके लिए धैर्य और नैतिकता का प्रदर्शन करना होता है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं : मैं जरीर बिन अब्दुल्लाह के साथ सफर पर निकला तो वह मेरी सेवा किया करते थे। हालांकि जरीर, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़े थे। (बुखारी :2822, मुस्लिम :6380)

और मुजाहिद कहते हैं : (मैं ने इब्ने उमर की संगत अपनाई ताकि उनकी सेवा करूँ, तो वह मेरी ही सेवा करते थे।) इसे इब्ने अबी आसिम ने अल–जिहाद में (210) और इब्ने असाकिर ने रिवायत किया है। 15/60

तेरहवाँ : ज़रूरत पूरी होजाने के बाद जल्दी घर लौट आये :

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''सफर अज़ाब का एक टुकड़ा है, आदमी को खाने, पीने और सोने से रोक देता है, जब तुम में से कोई अपनी जरुरत पूरी कर ले तो अपने घर वालों के पास जल्दी से लौट आए।''
(सहीह बुखारी हदीस नं.:2839, मुस्लिम हदीस नं. : 1927)

चौदहवाँ : गाँव या शहर में प्रवेष करने से पहले दुआ पढ़ना

सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब किसी गाँव को देखते जिस में प्रवेष करने का इरादा रखते थे तो उसे देखते ही यह दुआ पढ़ते थे :

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبَّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمـا أَقْلَلْـنَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَـاحِ وَمَـا ذَرَيْـنَ . أَسْـأَلُكَ خَـيْرَ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ، وَشَرِّ أَهْلِهَـا، وَشَرِّ مَا فِيهَا.

ऐ अल्लाह ऐ सातों आसमानों के रब् और उन चीज़ों के रब् जिन पर यह साया कर रखे हैं, और सातों ज़मीनों और उन चीज़ों के रब् जिन को यह उठा रखे हैं, और शैतानों और उन चीज़ों के रब् जिन्हें इन्हों ने गुमराह किया है, और हवाओं के रब् और उन चीज़ों के जो उन्हों ने उड़ायी हैं। मैं तुझ से इस गावँ की भलाई का और इस गावँ में रहने वालों की भलाई का और इस में मौजूद चीज़ों की भलाई का सवाल करता हूँ ,और मैं इस गावँ की बुराई और इस के बासियों की बुराई से और उन चीज़ों की बुराई से तेरी पनाह माँगता हूँ जो इस में हैं।

इसे नसाई ने अमलुल–यौम वल्लैला /367 में रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान (2709), इब्ने खुज़ैमा (2565) और हाकिम (1/614) ने सहीह कहा है और हाफिज़ इब्ने हज्र ने इसे हसन कहा है, जैसाकि इब्ने अल्लान ने अल–फतूहात 5/174 में इसका उल्लेख किया है।

पंद्रहवाँ : वापसी पर पहले मस्जिद जाये

कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है, वह कहते हैं : आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अधिकांश अपनी यात्रा से चाश्त के समय वापस आते थे और आप पहले मस्जिद जाते और दो रकअत नमाज़ पढ़ते थे। (बुखारी :4400)

तथा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि : रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझ से एक ऊँट खरीदा, जब आप मदीना आये तो मुझे मस्जिद में आने और दो रकअत नमाज़ पढ़ने का आदेश दिया। (बुखारी : 2923, मुस्लिम :715)

यह सुन्नत आजकल मिट चुकी है, क्योंकि इस ज़माने में इस पर अमल करने वाले बहुत कम ही लोग हैं। यह नमाज़ गोया इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि आदमी सुरक्षित अपने घर वापस पहुँच गया, तथा वह अपने निवास का आरम्भ नमाज़ से कर रहा है जो कि बन्दे और उसके पालनहार के बीच एक संबंध है, और यह सुन्नत –और अल्लह तआला ही सर्वश्रेष्ठ जानता है– मर्दों के साथ खास है, किन्तु अगर औरत अपने घर में दो रकअत पढ़ लेती है तो इस में कोई हरज नहीं है।

सोलहवाँ : अपने परिवार के पास रात के समय न आये

अनस बिन मालिक से वर्णित है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने परिवार के पास रात के समय अचानक नहीं

आते थे, आप उनके पास सुबह या शाम के समय आते थे। (मुस्लिम :1928)

जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस निषेध की हिकमत भी बयान की है, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम एक जंग में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ थे, जब हम मदीना आये तो अपने घरों में दाखिल होने के लिए चले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''ठहर जाओ यहाँ तक कि हम रात –अर्थात् इशा– के समय दाखिल हों, ताकि बिखरे बालों वाली औरत अपने बालों में कंघी कर ले (संवार ले) और जिसका पति उस से दूर रहा है वह अपने नाफ के नीचे (अनेच्छिक बालों) की सफाई कर ले।'' (मुस्लिम हदीस संख्या :715)

इसी प्रकार उसकी हिकमतों में से यह भी है जो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की दूसरी रिवायत में वर्णित है, वह कहते हैं कि : ''पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मर्द को इस बात से रोका है कि वह रात के समय (अचानक) अपनी बीवी के पास आ धमके; ताकि वह उनकी चौकीदारी करे (उनकी चोरी करे), या उनकी त्रुटियों को टटोले।'' (मुस्लिम :715)

आज के युग में संचार के अनेक साधन उपलब्ध हैं अतः मुसाफिर को चाहिए कि अपनी बीवी को अपने आगमन की एक पर्याप्त समय पूर्व ही सूचना दे दे, और यह केवल पति के लिए विशिष्ट है। और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ जानने वाला है।

देश से बाहर का सफर करना:

इस से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि आदमी एक इस्लामी देश जहाँ शरीअत के अहकाम लागू होते है और जहाँ प्रत्यक्ष रूप से बुराईयां और

अवैध काम नहीं किये जाते हैं, उसे छोड़ कर ऐसे देशों की यात्रा करता है जहाँ खुल्लम खुल्ला अक़ीदा की खराबियाँ, सन्देह और आशंकायें पाई जाती हैं, तथा कुफ्र व शिर्क, हराम कामों, शराब पीने, नशीले पदार्थ का सेवन का बोल बाला है, जिनके कारण मुसाफिर के बिगड़ जाने का भय है। तो ऐसी स्थिति में मात्र सैर सपाटे और मनोरंजन के लिए इन देशों की यात्रा करना अवैध (हराम) है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी अनुमति दी गई है, किन्तु उसकी कुछ शर्तें है, जिनके पाये जाने पर आदमी के लिए कुफ्फार के देशों का सफर करना वैध है, अल्लामा मुहम्म्द बिन सालेह अल–उसैमीन रहिमहुल्लाह ने इसकी निम्न लिखित शर्तें उल्लेख की हैं :

1. मुसाफिर के पास इतना ज्ञान हो कि वह संदेहों को रोक सके और उनका खण्डन कर सके।
2. मुसाफिर के पास इतनी वरअ् (दीनदारी और परहेज़गारी) हो कि वह शह्वतों और मन की आकांक्षाओं को रोक सके।
3. वह इस यात्रा का ज़रूरतमंद हो।
4. दीन के शआइर (आदेश और प्रतिषेध) की पाबंदी करे।

और हर प्रकार की प्रशंसायें और गुणगान अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, और हमारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, आप की संतान और आप के सभी साथियों पर अल्लाह की दया और शान्ति अवतरित हो।